न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः—प्रीतम कुमार, आई.ए.एस.
राजस्व अपील संख्याः— 07 / 2019
अपीलांटः—

श्रीमती पिस्ता पुत्र श्री भानाराम धर्मपत्नी श्री महिराम जी, जाति विश्नोई, निवासी— धायलों की ढाणी बिसलपुर, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :—

1. पूराराम पुत्र श्री भानाराम, जाति विश्नोई, निवासी— फुलजी की प्याउ के पास, जालेली फौजदारा, तहसील व जिला जोधपुर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत बनाड़, तहसील व जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 452 जो ग्राम देवलिया पंचायत बनाड़, पंचायत समिति मण्डोर, जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

आदेश दिनांकः— 23/3/26

उपस्थितिः— श्री भूपतसिंह जोधा अधिवक्ता अपीलांट।
रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अपीलांट की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपीलाट नै रेस्पोडेन्ट के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम पंचायत बनाह पंचायत समिति मण्डोर जिला जोधपुर के नामान्तरकरण सख्या 452 ग्राम देवलिया यह है कि अधिनस्थ नामान्तरकरण स्वीकृत आवेश खिलाफ कानून एवं खिलाफ रेकर्ड होने से काबिले खारिज है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने नामातरकरण हस्तगत को स्वीकृत करने से पहले अपीलाण्ट को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। इस आधार पर अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत हस्तगत नामांतरकरण काबिले खारिज है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने नामांतरकरण हकतर्कनामा के आधार पर स्वीकृत किया है जबकि उक्त हकतर्कनामा अपीलाण्ट द्वारा तकमील नहीं किया गया और न ही अपीलाण्ट के कोई हस्ताक्षर है। इस बिनाम पर अधिनस्थ ग्राम पंचायत का स्वीकृति आदेश काबिले खारिज है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने नामांतरकरण स्वीकृत करने से पहले हकतर्कनामा दिनांक 12.03.2014 को न तो देखा और न ही गौर फरमाया इस बिनाय पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत हस्तगत नामांतरकरण काबिले खारिज है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से जो इन्द्राज किया है उसकी कोई विधिवत जांच आईएलआर जाजीवाल द्वारा की गई और ग्राम पंचायत ने बिना किसी आधार के हस्तगत नामांतरकरण को बगैर पड़े व देखे स्वीकृत कर भारी भूल की है। इस बिनाय पर हस्तगत नामांतरकरण काबिले खारिज है। दीगर कजुहात बरवत बहस अर्ज किये जायेंगे। अत अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाये एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत बनाऊ द्वारा पारित नामानारकरण संख्या 452 ग्राम देवलिया, तहसील व जिला जोधपुर को खारिज फरमाया जाये एवं अपीलाण्ट के नाम नामान्तरकरण में इन्द्राज करने का आदेश प्रदान कराये।

यह है कि प्रार्थीनी स्व श्री भानाराम जी की जाइन्या पुत्री है। यह है कि हाल में दिनांक 11.04.2018 को प्रार्थीनी को उसके रिश्तेदार ने बताया कि उसकी जालेली फौजदारा वाली जमीन बिकाऊ है तथा उसका म्यूटेशन भी आपके भाई के नाम भरा जा चुका है। इस पर प्रार्थीनी पटवारी हल्का से मिली और नामान्तरकरण की जांच की तो पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को बताया कि उसके भाई के नाम नामान्तरकरण भरा जा चुका है। इस पर प्रार्थीनी ने पटवारी हल्का से निवेदन किया कि वह भी भानाराम जी की पुत्री है और उसने कोई हकतर्कनामा अपने भाई पूराराम के पक्ष में तकमील नहीं किया है। आप मेरा नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर देवे परन्तु पटवारी हल्का ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया और प्रार्थीनी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय में अपील करो। मामले हाजा में उक्त नामान्तकरण की जानकारी प्रथम बार प्रार्थीनी को दिनांक 13.04.2018 को हुई और इल्म की तिथि से प्रार्थीनी का यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है। अन्य वजुहात बरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे। अतः

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीनी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाये एवं प्रार्थीनी ईल्म की तिथि से अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकृत की जाये तथा ग्राम देवलिया तहसील व जिला जोधपुर के नामान्तरकरण सख्या 452 को ग्राम पचायत बनाड़ द्वारा पारित किया गया को को निरस्त किया जाये तथा अपीलाट के नाम नामान्तकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिया जाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नाटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेन्ट्स के अनुपस्थित रहने पर रेस्पोडेन्ट्स के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली व राजस्व रेकर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलाट प्रथम श्रेणी की वारिसान है। अधिवक्ता अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व. श्री भानाराम के फौत होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों की जांच करते हुए उनको समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार नामान्तरकरण पारित किया जाना चाहिए था। लेकिन ग्राम पंचायत उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी कानूनी मूल की है तथा अपीलांट को बिना सुनवाई अवसर प्रदान किये नामान्तकरण पारित किया गया है। अपीलांट का नाम पूर्व से राजस्व रेकर्ड में इंद्राज था बिना किसी आधार पर अपीलांट का नाम हटाया दिया गया ऐसी अवस्था में अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रस्तुत दस्तावेज एवं बहस के आधार पर अपीलांट की प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बनाड़ पंचायत समिति मण्डोर, जिला जोधपुर के द्वारा पारित नामान्नारकरण सख्या 452 ग्राम देवलिया को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार जोधपुर को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपील में बताये गये सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 23/3/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner